R.M.M. Law College Saharsa
Nareshji Anand
L.L.B. Part - IInd
Paper — Xth

Written Statment

वाद पत्र के विरुद्ध अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है। इसे प्रतिवाद पत्र अथवा लिखित कथन कहते हैं। यह वाद पत्र के उत्तर में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कथन होता है। यह लिखित होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश- 8 लिखित कथन के सम्बन्ध में उपबन्ध करता है। इस आदेश उल्लिखित नियमों को मस्तिष्क में रखकर लिखित कथन तैयार करना चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि वाद पत्र में सभी विशिष्टियाँ दी गई है अथवा नहीं। यदि वह पाता है कि सभी विशिष्टियाँ नहीं दी गई हैं तो उसे इसके लिए आवेदन करना चाहिए और सभी विशिष्टियाँ प्राप्त होने पर लिखित कथन तैयार करना चाहिए। अधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों को

भाँति अध्ययन करे और उपबन्धों का तो विशेष रूप से अध्ययन करे। सफलता के लिए वाद पत्र और लिखित कथन तैयार करने की कला का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है।

वाद पत्र अथवा लिखित कथन तैयार करने के पूर्व मुवक्किल की भली भाँति परीक्षण कर लेना चाहिए। उसे मुवक्किल को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह सम्पूर्ण बात प्रकट कर दे और उसे अपनी पीड़ा को पूर्ण रूप से बतला दे। सर्वप्रथम मुवक्किल को प्रत्येक प्रकार के तथ्यों को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे तथ्य सुसंगत हो अथवा असुसंगत। तत्पश्चात सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग कर लेना चाहिए तत्पश्चात सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए। सुसंगत तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात वाद पत्र तैयार करना चाहिए।

आदेश - 8 नियम - 2 के अनुसार नए तथ्यों का विशेष रूप से अभिवचन करना चाहिए। प्रतिवादी को अपने अभिवचन द्वारा वे सभी बातें उठानी होगी जिनसे यह दर्शित होता है कि वाद या विधि की दृष्टि से वह व्यवहार शून्य है और प्रतिरक्षा के सब ऐसे आधार उठाने होंगे जो ऐसे हैं कि यदि वे न उठाए गए तो यह संभव है कि उनके सहसा सामने आने से विरोधी पक्षकार चकित हो जाएगा।

नियम - 5 के अनुसार प्रतिवादी

के लिए लिखित यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह अपने लिखित कथन में उन आधारों का साधारणतः प्रत्याख्यान कर दे जो वादी द्वारा अभिकथित है, किंतु प्रतिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह नुकसानी के सिवाय एक अभिकथन का विनिर्दिष्टतः विवेचन करे जिसकी सत्यता वह स्वीकार नहीं करता है।

नियम-4 के अनुसार, जहाँ प्रतिवादी वाद में किसी तथ्य के अभिकथन का प्रत्याख्यान करता है, तो उसे वैसे वाग्छलपूर्ण तौर पर नहीं करना चाहिए वरन सार की बात का उत्तर देना चाहिए।

(5)(1) नियम-के अनुसार यदि वादपत्र में तथ्य सम्बन्धि हर कथन का आवश्यक विवक्षा से प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है, या प्रतिवादी के अभिकथन में वह स्वीकार नहीं किया जाता है तो वहाँ तक निर्योग्यताधीन व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का सम्बन्ध है वह स्वीकार कर लिया माना जाएगा।

नियम-5 (2) के अनुसार जहाँ प्रतिवादी ने अभिवचन फाइल नहीं किए हैं वहाँ न्यायालय के वादपत्र में अन्तर्विष्ट तथ्यों के आधार पर निर्णय सुनाना है से तथ्यों को साबित किये जाने की अपेक्षा स्वविवेकानुसार कर सकेगा।

नियम-5 (3) के अनुसार न्यायालय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में इस तथ्य पर सम्यक ध्यान देगा कि क्या वादी

Scanned with CamScanner

किसी ब्लीडर को नियुक्त कर सकता था या उसने किसी ब्लीडर को नियुक्त किया है।

नियम - 5 (4) के अनुसार इस नियम के अधीन जब कभी निर्णय सुनाया जाता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और ऐसी डिक्री पर तारीख दी जाएगी जिस तारीख को निर्णय सुनाया गया था।